तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./438/2006/जयपुर** **सरकार बनाम बाबुलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित–** श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, राजकीय उप अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 307/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 28–10–2005 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, फुलेरा, मुख्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर ने धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बघाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 84–18 बीघा सम्वत् 2011–29 में **गै0मु0 तलाई** सिवाय चक बिला लगानी अंकित रही है और उक्त भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 707 से मूगा पुत्र हनुमान जाति जाट को जरिये आवंटन दिनांक 21–1–1984 दर्ज हुई है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2056–59 में आराजी खसरा नम्बर 167/3 रकबा 11 बीघा किस्म बारानी–2 बाबूलाल पुत्र मूगाराम नाबा0 बली भूरी देवा बेवा मूगाराम के नाम दर्ज है। उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 2–8–2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अति0 कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही के क्रम में रेफरेन्स को स्वीकार करने एवं प्रश्नगत आराजी पर विपक्षीगण के नाम अंकित भूमि को निरस्त कर आराजी की किस्म पूर्व अनुसार सिवाय चक अंकित करने की राय के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गै0मु0 तलाई, नदी–नाला की भूमि है जिसे अप्रार्थी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./438/2006/जयपुर** **सरकार बनाम बाबुलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्ष में अविधिक रुप से दर्ज कर दिया गया है जब कि इस प्रकार की भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः मण्डल को अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है अतः प्रेषित किये गये रेफरेन्स को स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अति0 कलक्टर द्वारा हमें सुनवाई का न्यायोचित अवसर प्रदान किये बिना अनुशंषा की है जो प्राकृतिक न्याय केसिद्धान्तोंके विपरीत है।प्रश्नगत भूमि का अप्रार्थी के पिता/पति मूंगा के पक्ष में विधिवत रुप से वर्ष 1969 में आवंटन किया गया था और 1976 में नामांतरकरण स्वीकृत किया गया था। उक्त आवंटन को पूर्व में अति0 जिलाधीश, जयपुर के आदेश दिनांक 15-12-1976 से निरस्त कियागया था जिसकी अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ने निर्णय दिनांक 18-7-1983से आवंटन को बहाल किया है। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। नियमों के परिप्रेक्ष्य में भूमि की मौके की स्थिति को देखते हुये ही आवंटन किया गया था। मौके पर भूमि तलाई या जल प्रयोजन में नहीं आ रही है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के तथ्य प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। रेफरेन्स खारिज किया जाए। हमने बहस पर मनन किया एवं अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2008 लगायत 2029 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 84-18 बीघा **गै0मु0 तलाई** सिवाय चक बिला लगानी अंकित रही है और जमाबंदी सम्वत् 2028-30 में भी इसी प्रकार के अंकन हैं। जरिये नामांतरकरण संख्या 707 से खसरा नम्बर 167/3 रकबा 11 बीघा मूगा पुत्र हनुमान जाति जाट को जरिये आवंटन दिनांक 21-1-1984 गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। नामांतरकरण संख्या 786 विरासत के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत किया गया है और नामांतरकरण संख्या 1095 से खातेदारी स्वीकृत की गई है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2056-59 में आराजी खसरा नम्बर 167/3 रकबा 11 बीघा किस्म बारानी-2 बाबूलाल पुत्र मूगाराम नाबा0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./438/2006/जयपुर** **सरकार बनाम बाबुलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बली भूरी देवा बेवा मूगाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन तलाई, नदी–नाला'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 तलाई की भूमि अंकित होने से गै0मु0 तलाई, नदी–नाले, अंगौर आदि की आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.*

उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में अति0 जिला कलक्टर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विद्वान अति0 कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 28–10–2005 से मण्डल को अभिशंषित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./438/2006/जयपुर** **सरकार बनाम बाबुलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया हस्तगत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 167/3 रकबा 11 बीघा किस्म बारानी–2 वाके **ग्राम बधाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर** पर अप्रार्थीगण के पक्ष में हो रहे वर्तमान खातेदारी के अंकनों को कलमजन करने व भूमि को वापिस उसके मूल स्वरुप **"Original shape & use"** किस्म **"गै0मु0 तलाई"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	